

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

निदेशक

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग,
पटना

विषय:-

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग:-

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि०, पटना का पत्रांक-1003, दिनांक-06.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन दो हिन्दी, एक अंग्रेजी एवं दो उर्दू दैनिक समाचार पत्रों में किया जाना है।

अतः विज्ञापन का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि विज्ञापन का प्रकाशन दो हिन्दी, एक अंग्रेजी एवं दो उर्दू दैनिक समाचार पत्रों में करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:- अ०सं०क० -09(ख)-श्रम-02/2021.....

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि०, पटना का पत्रांक-1003, दिनांक-06.08.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

/पटना, दिनांक-12/08/26

ज्ञापांक:- अ०सं०क० -09(ख)-श्रम-02/2021.....3240

प्रतिलिपि:- श्रीमति जयन्ति, नोडल पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी०मैनेजर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

विशेष सचिव-सह-निदेशक 12/8

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का उपक्रम)

अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन का आमंत्रण

राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, पारसी, जैन एवं बौद्ध) के पात्र अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत निम्नांकित रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

ट्रेड का नाम:-General Duty Assistant -
Advanced

शैक्षणिक योग्यता:- (a) 12th Class Pass or
equivalent (Ver-3.0)

जिला:- नालंदा, नवादा, पश्चिम चम्पारण, सिवान
कटिहार, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, पूर्णिया, रोहतास,
सारण, किशनगंज

(b) 10th Class pass (Ver-2.0)

जिला:- बक्सर, भभुआ

ट्रेड का नाम:-Assistant Electrician
(Ver.3.0, 4.0)

शैक्षणिक योग्यता:-10th Class

जिला:- अररिया, गोपालगंज, सारण, सिवान,
किशनगंज

ट्रेड का नाम:-Phlebotomist (Ver-2.0)

शैक्षणिक योग्यता:-12th Class Pass with
Science

जिला:- भभुआ, बक्सर

ट्रेड का नाम:-Dresser (Medical)

शैक्षणिक योग्यता:-10th Class Pass

जिला:- भभुआ

ट्रेड का नाम:- ATDC_Fashion Design &
Technology (Ver-2.0)

शैक्षणिक योग्यता:-10th Class Pass

जिला:- पटना

ट्रेड का नाम:- Digital Mitra (Ver 4.0)

शैक्षणिक योग्यता:-12th Class Pass - with basic
Computer knowledge

जिला:-औरंगाबाद, दरभंगा, नवादा, मधुबनी,
रोहतास, खंगड़ीया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, गया,
बेगुसराय, किशनगंज

ट्रेड का नाम:-Emergency Medical Technician
-Basic (Ver-3.0)

शैक्षणिक योग्यता:- 12th Class Pass

जिला:- बेगुसराय

ट्रेड का नाम:-Plumber General (Ver-5.0)

शैक्षणिक योग्यता:-12th Class Pass

जिला:- गया

ट्रेड का नाम:-Certificate Course in
Photography

शैक्षणिक योग्यता:-Graduation in any
discipline

जिला:- पटना

ट्रेड का नाम:-Certificate Course in Film
Making

शैक्षणिक योग्यता:-Graduation in any
discipline

जिला:-पटना

ट्रेड का नाम:—Apparel Manufacturing Technology

शैक्षणिक योग्यता:—12th Class Pass

जिला:—पटना

ट्रेड का नाम:—Automotive AC Technician

शैक्षणिक योग्यता:—10th Class Pass with 1 Year experience

जिला:—

2. अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों की पात्रता :

आयु : 18 वर्ष से 45 वर्ष

वार्षिक आय : 4,50,000 /-रुपया अधिकतम

शैक्षणिक योग्यता : ट्रेड के संबंध में यथा अंकित।

3. आवेदन की प्रक्रिया— कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत सूचना बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के वेबसाइट एवं www.bsmfc.org पर उपलब्ध है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार www.bsmfc.org पर दिए गए लिंक “Apply for Skill Training” पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

4. चयन की प्रक्रिया

- I. राज्य के विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त आवेदन की शार्टलिस्टिंग संबंधित जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय द्वारा की जाएगी।
 - II. एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योग्यता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - III. आवेदकों का अंतिम रूप से चयन संबंधित जिला के उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
5. अन्यान्य— विशेष जानकारी एवं सहायता हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित है।


(प्रबन्ध निदेशक)